सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 839 **16 Kartik, 1938 (S)**
Ranchi, Tuesday , 7th November, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

7th November, 2017

NOTIFICATION No-40/2017 State Tax (Rate)

S.O. No. 120 Dated. 7th November, 2017-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as "the said Act"), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of taxable goods (hereafter in this notification referred to as "the said goods") by a registered supplier to a registered recipient for export, from so much of the state tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate of 0.05 per cent., subject to fulfilment of the following conditions, namely: -

(i) the registered supplier shall supply the goods to the registered recipient on a tax invoice;

(ii) the registered recipient shall export the said goods within a period of ninety days from the date of issue of a tax invoice by the registered supplier;

(iii) the registered recipient shall indicate the Goods and Services Tax Identification Number of the registered supplier and the tax invoice number issued by the registered supplier in respect of the said goods in the shipping bill or bill of export, as the case may be;

(iv) the registered recipient shall be registered with an Export Promotion Council or a Commodity Board recognised by the Department of Commerce;

(v) the registered recipient shall place an order on registered supplier for procuring goods at concessional rate and a copy of the same shall also be provided to the jurisdictional tax officer of the registered supplier;

(vi) the registered recipient shall move the said goods from place of registered supplier –
(a) directly to the Port, Inland Container Deport, Airport or Land Customs Station from where the said goods are to be exported; or
(b) directly to a registered warehouse from where the said goods shall be moved to the Port, Inland Container Deport, Airport or Land Customs Station from where the said goods are to be exported;

(vii) if the registered recipient intends to aggregate supplies from multiple registered suppliers and then export, the goods from each registered supplier shall be moved to a registered warehouse and after aggregation, the registered recipient shall move goods to the Port, Inland Container Deport, Airport or Land Customs Station from where they shall be exported;

(viii) in case of situation referred to in condition (vii), the registered recipient shall endorse receipt of goods on the tax invoice and also obtain acknowledgement of receipt of goods in the registered warehouse from the warehouse operator and the endorsed tax invoice and the acknowledgment of the warehouse operator shall be provided to the registered supplier as well as to the jurisdictional tax officer of such supplier; and

(ix) when goods have been exported, the registered recipient shall provide copy of shipping bill or bill of export containing details of Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) and tax invoice of the registered supplier along with proof of export general manifest or export report having been filed to the registered supplier as well as jurisdictional tax officer of such supplier.

2. The registered supplier shall not be eligible for the above mentioned exemption if the registered recipient fails to export the said goods within a period of ninety days from the date of issue of tax invoice.

3. This notification shall be deemed to be effective from 23rd October, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017]
By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,
Principal Secretary-cum Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 40/2017- राज्य कर (दर)

एस० ओ० 120 दिनांक 7 नवम्बर, 2017--झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे इस अधिसूचना में, उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित के लिए आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्यात के लिए एक पंजीकृत प्राप्तकर्ता को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा कर लगने योग्य वस्तुओं (एतश्मिन पश्चात जिसे इस अधिनियम में उक्त वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) पर, राज्य के भीतर आपूर्ति पर, उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत इन पर लगने वाले राज्य कर जिसका 0.05 प्रतिशत की दर से गणना की गई राशि से अधिक है, पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एततद्वारा छूट प्रदान करता है, नामत:

(i) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत-आपूर्तिकर्ता द्वारा कर इनवाइस जारी किए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर उक्त वस्तुओं का निर्यात करेगा;

(ii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की माल एवं सेवाकर की पहचान संख्या एवं उक्त वस्तुओं के संबंध में पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी टैक्स इनवाइस संख्या शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल, जैसा भी मामला हो, में दर्शायेगा;

(iii) पंजीकृत प्राप्तकर्ता का निर्यात संवर्धन परिषद अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मद संबंधी बोर्ड द्वारा पंजीकरण किया जायेगा;

(iv) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, रियायती दर पर वस्तुएं खरीदने के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को आदेश जारी करेगा तथा इसकी एक प्रति पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;

(v) पंजीकृत आपूर्तिकर्ता, पंजीकृत प्राप्तकर्ता को टैक्स इनवॉयस पर वस्तुओं की आपूर्ति करेगा;

(vi) पंजीकृत प्राप्तकर्ता, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता के स्थान से उक्त वस्तुओं को सीधे -

(क) बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर जहां से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है, ले जाएगा; या

(ख) किसी पंजीकृत वेयर हाउस पर जहां से उक्त वस्तुओं को बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर ले जाएगा जहां से उक्त वस्तुओं का निर्यात किया जाना है ।

(vii) यदि पंजीकृत प्राप्कर्ता, कई पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त हुई आपूर्ति को समेकित करके फिर निर्यात करना चाहता है तो प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की

वस्तुएँ, पंजीकृत वेयर हाउस को भिजवाई जायेगी तथा समेकन के पश्चात पंजीकृत प्राप्तकर्ता वस्तुओं को बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर ले जायेगा जहां से उनका निर्यात किया जाएगा;

(viii) इस मामले में शर्त (vii) में बताई गई स्थिति में, पंजीकृत प्राप्तकर्ता, टैक्स इनवायस पर वस्तुओं की प्राप्ति पृष्ठांकित करेगा और वेयर हाउस आपरेटर से पंजीकृत वेयर हाउस में वस्तुओं की प्राप्ति की आवती प्राप्त करेगा तथा पृष्ठांकित टैक्स इनवाइस और वेयर हाउस आपरेटर की पावती, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को तथा ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;

(ix) जब वस्तुएं निर्यात कर दी जाती हैं तो पंजीकृत प्राप्तकर्ता शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल जिसमें जीएसटीआईएन का ब्यौरा और पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की टैक्स इनवाइस अंकित हो तथा इसके साथ एक्सपोर्ट जनरल मैनीफैस्ट का सुबूत या पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को ओर ऐसे आपूर्तिकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त टैक्स अधिकारी को दायर की गई निर्यात रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायेगा।

2. यदि पंजीकृत प्राप्तकर्ता उक्त वस्तु के निर्यात में कर बीजक के जारी होने के 90 दिनों के भीतर असफल रहता है तो उक्त संदर्भित छूट के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता पात्र नहीं होगा।

3. यह अधिसूचना **23 अक्टूबर**, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/04/2017]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

के० के० खण्डेलवाल,

प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 839-- 50.